



## पंचदश बिहार विधान सभा

दशम् सत्र  
दैनिक विवरणिका

संख्या-03

मंगलवार, दिनांक-30 जुलाई, 2013 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सभा की बैठक प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाहन से 11.17 बजे पूर्वाहा० तक ।

“सदन की कार्यबाही प्रारंभ होते ही भाजपा के मा० सदस्यगण उत्तराखण्ड में हुई त्रासदी पर बहस की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए बेल में आ गए ।”

आसन द्वारा कहा गया कि इसी विषय के समरूप एक ध्यानाकर्षण सूचना स्वीकृत है । मा० सदस्यगण उस समय अपनी बातों को रखें लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और सदन में भाजपा के मा० सदस्यगण नारेबाजी करते रहे ।

आसन द्वारा उनसे बार-बार अनुरोध किया कि वे शांत रहें और अपनी-अपनी सीट पर जाएं पर शांति कायम नहीं हो सकी और सदन की बैठक 2.00 बजे अप० तक के लिए स्थगित हुई ।

(भोजनावकाश के बाद)

समय 2.00 बजे अप० से 5.20 बजे अप० तक ।

[1] विधायी कार्य :- राजकीय विधेयक :-

(i) बोधगया मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2013 :-

मा० प्रभारी मंत्री गृह (विशेष) विधायक श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

मा० सदस्य डॉ० अच्युतानन्द द्वारा ‘सिद्धांत पर विमर्श’ का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

मा० सदस्य श्री अवनीश कुमार सिंह द्वारा ‘जनमत जानने’ का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

मा० सदस्य श्री अरुण शंकर प्रसाद द्वारा ‘प्रवर समिति’ का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

मा० सदस्य डॉ० अच्युतानन्द द्वारा 'संयुक्त प्रवर समिति' का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में खंड-2 में संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ और सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

मा० प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

मा० नेता प्रतिपक्ष तथा मा० सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्धिकी, श्री सदानन्द सिंह एवं श्री अवधेश कुमार राय द्वारा पक्ष रखा गया ।

मा० मुख्यमंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति के प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखा गया । सदन द्वारा विधेयक स्वीकृत हुआ ।

"इस दौरान भाजपा के मा० सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए ।"

मा० मंत्री संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर आज के कार्य के निष्पादन होने तक सदन की अवधि का विस्तार किया गया ।

#### (ii) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 :-

मा० प्रभारी मंत्री शिक्षा विभाग श्री प्रशांत कुमार शाही द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । "इस दौरान भाजपा के मा० सदस्यगण सदन में आ गए ।"

मा० सदस्य डॉ० अच्युतानन्द द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

मा० सदस्य श्री विनोद नारायण इशा द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में खंड-2 में आठ (8) एवं खंड-3 में दो (2) संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ और सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

मा० प्रभारी मंत्री शिक्षा विभाग द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । सदन द्वारा विधेयक स्वीकृत हुआ ।

#### (iii) पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 :-

मा० प्रभारी मंत्री शिक्षा विभाग श्री प्रशांत कुमार शाही द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

मा० सदस्य डॉ० अच्युतानन्द द्वारा "जनमत जानने" का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

मा० सदस्य श्री विनोद नारायण इशा द्वारा "प्रवर समिति" का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में खंड-2 में पाँच संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुए तथा सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

मा० प्रभारी मंत्री शिक्षा विभाग द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

विधेयक सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(iv) नालंदा खुला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 :-

मा० प्रभारी मंत्री शिक्षा विभाग श्री प्रशांत कुमार शाही द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

मा० सदस्य डॉ० अच्युतानन्द द्वारा “जनमत जानने” का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

मा० सदस्य श्री विनोद नारायण झा द्वारा "प्रवर समिति" का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में खंड-2 में पाँच (5) संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुए तथा सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

मा० प्रभारी मंत्री शिक्षा विभाग द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

विधेयक सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

[2] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गई कि आज दिनांक 30.07.2013 के लिए स्वीकृत कुल-28 निवेदनों को सदन की सहमति से सम्बोधित विभागों को भेज दिए जाएंगे।

तत्पश्चात् सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 31 जुलाई, 2013 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना

दिनांक-30 जुलाई, 2013

फल आ

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।